समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला शस्त्र शाखा)

-: आदेश :-

पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के ज्ञापांक 137/चुनाव, दिनांक 30-03-2014 के द्वारा थाना अध्यक्ष, फुलौत ओ0पी0 के प्रतिवेदन पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज से अनुशंसित प्रतिवेदन के आधार पर शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी श्री शिशुपाल सिंह पे0 श्री वासुदेव सिंह सा0 सलारपुर बासा थाना चौसा(फुलौत ओ.पी.) जिला मधेपुरा के विरुद्ध चौसा(फुलौत ओ.पी.) थाना कांड सं0-147/13 दिनांक 24.11.13 धारा 341/307/387/504/506/34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत कांड दर्ज कर दिनांक 14.03.2014 को गिरफतार कर जेल भेजा जा चुका है तथा इनका दो नाली लाईसेंसी बन्दुक एवं 56 राउंड गोली जप्त कर चौसा थाना में सुरक्षित रखा गया है। इनके नाम से निर्गत दो नाली बन्दुक अनुज्ञप्ति सं0-02/2006 (चौसा थाना) को रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दिनांक 05.10.13 को समर्पित बायोडाटा में अंकित सूचना अवलोकन से ज्ञात होता है कि कॉलम सं0-08 में प्राथमिकी/ आपराधिक मामले दर्ज नहीं होना प्रतिवेदित किया है। उपर्युक्त वर्णित कांड बायोडाटा समर्पण के बाद का है। अतएव प्राप्त प्रतिवेदन एवं किए गए अनुशंसा के आलोक में शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17(3)(h) के अन्तर्गत लोक शांति/ लोक सुरक्षा के हित में श्री शिशुपाल सिंह पे0 श्री वासुदेव सिंह सा0 सलारपुर बासा थाना चौसा(फुलौत ओ.पी.) जिला मधेपुरा के नाम से निर्गत **दो नाली बन्दुक अनुज्ञप्ति सं0-02/2006(चौसा थाना) को ''निलंबित '' किया जाता है तथा अनुज्ञप्ति पर धारित दो** नाली बन्दुक संख्या- 72046 by I.O.F.(Second Hand) जो पूर्व में ही थाना अध्यक्ष, फुलौत ओ.पी. द्वारा जप्त कर अपने डी.आर.नं0-70/14 दिनांक 25.03.2014 के द्वारा चौसा थाना मालखाना में जमा करवाया जा चुका है, पर घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान हुए सुरक्षित रखने का आदेश दिया जाता है। साथ ही अनुज्ञप्तिधारी अपना स्पष्टीकरण दिनांक 10-03.14 तक अपना स्पष्टीकरण समर्पित करें, अन्यथा समझा जायेगा कि आपको इस संदर्भ में कुछ नहीं कहना है। निर्धारित समय के बाद तत्क्षण अनुज्ञप्ति रद्द करने की कार्रवाई कर दी जायेगी।

थानाध्यक्ष, चौसा को आदेश दिया जाता है कि वे बगैर सक्षम प्राधिकार से अनुमति प्राप्त किए संबंधित अनुज्ञप्तिधारी को किसी भी परिस्थिति में शस्त्र हस्तगत नहीं करायेंगे एवं पूर्णरुपेण सुरक्षित रखेंगे।

श्री शिशुपाल सिंह पे0 श्री वासुदेव सिंह सा0 सलारपुर बासा थाना चौसा(फुलौत ओ.पी.) जिला मधेपुरा को आदेश दिया जाता है कि वे मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा में पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जमा करने पर कार्यालय में संधारित अनुज्ञप्ति पंजी एवं अनुज्ञप्ति पुस्त में ''निलंबित'' प्रवृष्टि करवा कर हस्ताक्षर कर देंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह0/-
जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 176 /विधि, मधेपुरा, दिनांक 4.4.14

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। चूँकि अनुज्ञप्तिधारी सम्प्रति जेल में है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि अपने स्तर से अनुज्ञप्तिधारी को अधीक्षक, मंडल कारा, मधेपुरा के माध्यम से उक्त पत्र का तामिला करवायेंगे।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा/ जिला सूचना अधिकारी, मधेपुरा/ अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज/ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज/ थानाध्यक्ष, चौसा/ फुलौत ओ.पी. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री शिशुपाल सिंह पे0 श्री वासुदेव सिंह सा0 सलारपुर बासा थाना चौसा(फुलौत ओ.पी.) जिला मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

04/04/14

जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।